मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

क्र/ 199 /अ.प्र./पैथा–लैब/2006/ भोपाल दिनांक 29/4/2006

प्रति,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय : याचिका कमांक 3721/02 (श्रीमती कमला पटेल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन) में पारित माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश दिनांक 13.01.03 का प्रदेश में कियान्वयन व अवमानना याचिका कमांक 1779/05 (डॉ. नाजपांडे विरूद्ध कोमल सिंह पेथालाजी लेब–विजिटिंग पेथालोजिस्ट बावत्)

स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश के कमांक कं/अ.प्र./पैथा–लैब/2005/624 दिनांक 20.09.2005 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के याचिका कमांक 3721/02 में पारित आदेश दिनांक 13/01/2003 के संदर्भ में ऐसी समस्त पैथालाजी प्रयोगशालाएं जो योग्यताधारी विजिटिंग पैथालाजिस्ट की सेवाएं लेकर चलाई जा रही हैं के संबंध मे माननीय न्यायालय के द्वारा विजिटिंग पैथालाजिस्ट के रोल पर दिये गये अभिमत के परिपेक्ष्य में निर्देश जारी किये गये थे।

विजिटिंग पैथालाजिस्ट के रोल पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13/01/03 में आदेश के पैरा 31 में विस्तृत चर्चा करते हुए निम्न अभिमत व्यक्त किया है :–

"............... The Pathologist must attend the laboratory regularly and should perform the reading and should get the test performed under his supervision and only thereafter can sign the reports. Same is necessary to weed out quackery from the field of Pathological Laboratories. The laboratories which are not being run by pathologist cannot be, in my opinion, allowed to run by state. Pathologist should run the laboratory on regular basis and must have the deep and real interest in running of laboratory .... In any case such laboratories in which pathologist is not on regular basis, cannot be allowed to run at all."

स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश के कमांक कं/अ.प्र./पैथा–लैब/2005/624 दिनांक 20.09.2005 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के याचिका कमांक 3721/02 में पारित उक्त आदेश के संदर्भ में ऐसी समस्त पैथालाजी प्रयोगशालाएं जो योग्यताधारी विजिटिंग पैथालाजिस्ट की सेवाएं लेकर चलाई जा रही हैं के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु कई जिलों से ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही हैं कि एक–एक योग्यताधारी पैथालोजिस्ट कई–कई पैथालाजी प्रयोगशालाओं (कुछ प्रकरणों मे चार–चार/पांच–पांच) में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर मात्र कर रहे हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय की मंशा अनुसार प्रयोगशालाओं में जाचें उनके सुपरवीजन में नहीं हो रही हैं।

चूंकि ये स्थिति माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की मंशा के अनुरूप नहीं है अतः इस कार्यालय के पत्र कमांक अ.प्र./पैथा–लैब/2005/624 दिनांक 20.09.05 में एतद् द्वारा संशोधन कर ये व्यवस्था दी जाती है कि अपनी स्वयं की प्रयोगशाला के अतिरिक्त योग्यताधारी पैथालाजिस्ट केवल एक अतिरिक्त प्रयोगशाला में विजिटिंग पैथालाजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं इस शर्त पर दे सकेंगे कि उक्त प्रयोगशाला में की जा रही समस्त जांचे उनके सीधे सुपरविजन में

की गई हैं जिसके किसी भी लीगल प्रकरण हेतु वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र वे जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। शपथ पत्र में ये उल्लेख भी होना आवश्यक है कि वे अपनी प्रयोगशाला में तथा विजिटिंग पैथालाजिस्ट के रूप में जिस पैथालाजी प्रयोगशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वे उस प्रयोगशाला में किस समय से किस समय तक उपस्थित रहेगें तथा अनुपस्थित पाये जाने पर उनके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 13.01.02 की अवमानना मानते हुए तथा झूठा शपथ पत्र देने का प्रकरण हेतु विधिवत कार्यवाही की जा सकेगी। जो पैथालाजिस्ट अपनी स्वयं की प्रयोगशाला संचालित नहीं करते हैं वे विजिटिंग पैथालाजिस्ट के रूप में उपरोक्तानुसार अपनी सेवाएं दो प्रयोगशालाओं की सीमा तक ही देंगे।

29/4/06
रश्मि अरूण शमी
स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.

पृ.क/200/अ.प्र./पेथा–लेब/2006/

भोपाल दिनांक 29/4/2006

प्रतिलिपि:

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

29/4/06
रश्मि अरूण शमी
स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.